



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 ज्येष्ठ 1943 (श10)
(सं0 पटना 321) पटना, बुधवार, 2 जून 2021

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या 01/2021-राज्य कर (दर)

2 जून 2021

एस0ओ0 99 दिनांक 2 जून 2021— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 1/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 544 दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) अनुसूची I - 2.5% में, क्रम संख्या 259 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "9503" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची I के पश्चात, सूची 1 में, क्रम संख्या 230 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-

"(231). डायथाइलकार्बामाज़िन".

2. यह अधिसूचना दिनांक 2 जून, 2021 से लागू होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-10) 01)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

2 जून 2021

एसओ० 99, दिनांक 2 जून 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-10) 01)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

Notification No. 01 /2021 – State Tax (Rate)

The 2nd June 2021

S.O. 99 dated the 2nd June 2021--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 1/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 544 dated the 29th June, 2017, namely:-
In the said notification, -

- (a) in Schedule I - 2.5%, against S. No. 259A, for the entry in column (2), the entry "9503" shall be substituted;
 - (b) after Schedule I, in the List 1, after serial number 230 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely-
“(231). Diethylcarbazine”.
2. This notification shall come into force on the 2nd day of June, 2021.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-10) 01]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 321-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>